

## लाईब्रेरी रुल

- 1 एक छात्रा अधिकतम तीन पुस्तकें जारी करवा सकती है।
- 2 छात्रा द्वारा जारी करवाई गई पुस्तकों को 14 दिनों के अन्दर लाईब्रेरी में जमा करवाना होगा।
- 3 जारी की गई तिथि के बाद प्रतिदिन एक रुपया के हिसाब से जुर्माना प्रति छात्रा से वसूला जाएगा। और 60 दिन के उपरान्त यह जुर्माना दो रुपये के हिसाब से वसूला जाएगा।
- 4 किसी भी छात्रा से पुस्तक गुम हो जाने की स्थिति में उक्त छात्रा से उस पुस्तक की कीमत जमा करवा होगी।
- 5 महाविद्यालय के सभी प्राध्यापक/प्राध्यापिकाओं व कर्मचारियों के लिए 15 पुस्तकें जारी करवाने की सुविधा उपलब्ध है।
- 6 कर्मचारियों के द्वारा ली गई पुस्तकों को एक महीने के अन्दर लाईब्रेरी में जमा करवाना होगा।
- 7 छात्राओं को अधिक से अधिकतम तीन बार पुस्तकें जारी करवाने की सुविधा है अगर इस पुस्तक की आवश्यकता किसी दुसरे छात्रा को ना हो।
- 8 लाईब्रेरी की अन्दर खाना खाने की अनुमति नहीं जो छात्रा लाईब्रेरी में खाना खाते हुए मिलती है तो उस पर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

Vn  
01-04-2024

Jean  
11/4/2024